न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव
(पीठासीन अधिकारी श्री महावीरसिंह जोधा, RAS)

राजस्व आवेदन संख्या 149/2022

अन्तर्गत धारा 136 RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
गोमाराम पुत्र पदमाराम जाति जाट, निवासी आदर्श बस्ती तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव 2. चौखाराम पुत्र पदमाराम 3. रणछाराम पुत्र पदमाराम जाति जाट, निवासी आदर्श बस्ती तहसील शिव, जिला बाड़मेर 4. शाखा प्रबंधक, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, शिव

उपस्थित :— 1. अधिवक्ता प्रार्थीगण :— श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।

—:: आदेश ::—

दिनांक : 17.02.2023

प्रार्थी के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि ग्राम आदर्श बस्ती, तहसील शिव के खसरा नम्बर 840/782 रकबा 4.3323 हैक्टेयर प्रार्थी की खातेदारी भूमि आई हुई है, एवं विप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 842/782 रकबा 4.3323 हैक्टेयर तथा बिप्रार्थी संख्या 3 की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 841/782 रकबा 2.1956 हैक्टेयर की आई हुई है। उक्त खातेदारी के खेत पक्षकारान की आपसी सहमति से विभाजन करवाने पर उक्त खसरा नम्बर कायम हुए। उक्त आपसी सहमति से हुए विभाजन में प्रार्थी का खातेदारी खेत खसरा नम्बर 840/782 का कब्जा काश्त विप्रार्थी संख्या 2 के खातेदारी खसरा नम्बर 842/782 की तरमीम में आ गया है। विप्रार्थी संख्या 3 की तरमीम मौके पर कब्जा काश्त अनुसार ही है। राजस्व अधिकारी व कर्मचारियों को उक्त आराजी की तरमीम प्रार्थी के कब्जा काश्त अनुसार करनी थी, किन्तु राजस्व अधिकारी कर्मचारियों द्वारा मौके की जांच किये बिना ही गलत तरमीम कर दी गई। उक्त तरमीम राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा मौके पर कब्जा काश्त की जांच किये बिना कर दी जाने से प्रार्थी द्वारा तरमीम दुरस्त करवाने का अधिकारी होने से तरमीम दुरस्ती का आवेदन पेश किया गया है। उक्त गलत तरमीम से पक्षकारान् के खेतों में मौके पर कब्जा काश्त की स्थिति में भारी भिन्नता आ गई है। अतः प्रार्थी द्वारा उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड के लट्ठा ट्रेस में की गई गलत तरमीम को निरस्त करवाते हुए वर्तमान में मौके पर माफिक कब्जाकाश्त अनुसार तरमीम दुरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी की गई। विप्रार्थी संख्या 2 से 4 बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे है। तहसीलदार शिव से वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। [illegible] शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौका रिपोर्ट के संलग्न [illegible] दुरस्त किये जाने की अनुशंषा की है। साथ ही परिशिष्ट [illegible] अनुसार तरमीम दुरस्ती [illegible] उक्त खसरा के खातेदारान् द्वारा सहमति प्रदान की गई है। विप्रार्थी तहसीलदार शिव द्वारा भी मौके पर कब्जा काश्त एवं हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट अनुसार तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Singh Jodha
Date: 2023.03.09 16:43:14 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थी द्वारा लट्ठा नक्शा में विवादित आराजी की विद्यमान तरमीम को निरस्त कर मौके पर पक्षकारान् के कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती को प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया गया है तथा विप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा भी मौके पर उपस्थित होकर परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की जाकर अगुष्ठ किये गये है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी की तरमीम तद्नुसार दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम आदर्श बस्ती, तहसील शिव के खसरा नम्बर 840/782, 842/782 रकबा क्रमशः 4.3323, 4.3323 हैक्टेयर भूमि की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शिव को तद्नुसार तरमीम दुरस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। उक्त तरमीम दुरस्ती से बैंक हित अप्रभावित रहेंगे। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी, शिव जिला-बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahaveer Singh Jodha
Date: 2023.03.09 16:43:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)
उपखण्ड अधिकारी
शिव

आदेश आज दिनांक 17.02.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)
उपखण्ड अधिकारी
शिव